


कार्यालय प्राचार्य, जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक/प.नि.प्र/2020/724

जबलपुर, दिनांक 06/10/2020

— संशोधित आदेश —

म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तथा उसमें कार्यवाही का प्रतिवेदन मांगा गया है, इस तारतम्य में समस्त विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं एम.ई. में सत्र 2017-2018 से प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि M.E. Dissertation जमा करने हेतु दो में से कम से कम एक शोधपत्र, SCI Index/Scopus/Indian Science Index/Web of Science/IEEE/ASCE/ASME/UGC Approved से संबंधित Journals में प्रकाशित या स्वीकृत (accepted)/Conference में प्रस्तुत (Present) करना अनिवार्य होगा, साथ ही अर्न्त्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conferance), जिनमें प्रस्तुत किये गये शोधपत्रों का उक्त जर्नल्स में प्रकाशित होने की प्रत्याशा का विवरणिका (Brochure) में स्पष्ट उल्लेख हो, के शोधपत्रों को भी M.E. थिसिस हेतु मान्य किया जावेगा।



प्राचार्य/मुख्य परीक्षा नियंत्रक
जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

पृ: क्रमांक/प.नि.प्र/2020/

जबलपुर, दिनांक /10/2020

प्रतिलिपि:-

01. समस्त विभागाध्यक्ष, जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।



प्राचार्य/मुख्य परीक्षा नियंत्रक
जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)